रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102024-257784
CG-DL-E-09102024-257784

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 571] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 8, 2024/आश्विन 16, 1946
No. 571] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 8, 2024/ASHVINA 16, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2024

सं. 20/2024-केंद्रीय कर

सा. का. नि. 626(अ).— केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 36 के उपनियम (3) में "जहां ऐसी मांग की पुष्टि" शब्दों के पश्चात् "धारा 74 के अधीन" शब्द और अंक, अंत:स्थापित किए जाएंगे।

3. 1 नवंबर, 2024 से उक्त नियम के नियम 46 में ,-

(क) खंड (ध) के पश्चात् दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) तीसरे परंतुक में "परंतु यह कि माल और सेवा के निर्यात की दशा में" शब्दों के स्थान पर "परंतु यह और कि माल और सेवा के निर्यात की दशा में" शब्द रखे जाएंगे;

4. उक्त नियम में नियम 47 के पश्चात् 1 नवंबर, 2024 से निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"47क. उस मामले में कर बीजक जारी करने के लिए समय सीमा जहां पानेवाले के लिए बीजक जारी करना अपेक्षित है,- नियम 47 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां नियम 46 में निर्दिष्ट बीजक ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, द्वारा धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन जारी किए जाने के लिए अपेक्षित है, वह यथास्थिति माल या सेवा या दोनों के उक्त प्रदाय की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर उक्त बीजक जारी करेगा ।"।

5. उक्त नियम में नियम 66 के उपनियम (1) में "प्ररूप जीएसटीआर-7" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पूर्व"कैलेण्डर मास के उत्तरवर्ती मास के दसवें दिन या उससे पहले"शब्द 1 नवंबर, 2024 से अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

6. उक्त नियम के नियम 86 के उपनियम (4ख) के खंड (ख) में "नियम 96 के उपनियम (10) के उल्लंघन में" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

7. उक्त नियम के नियम 88ख के उपनियम (1) में "या धारा 74"शब्दों और अंकों के पश्चात "या धारा 74क" शब्द और अंक 1 नवंबर, 2024 से अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

8. उक्त नियम के नियम 88घ के उपनियम (3) में "या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात "या धारा 74क" शब्द और अंक 1 नवंबर, 2024 से अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

9. उक्त नियम के नियम 89 में,-

(क) उपनियम (4) के,-

(i)खंड (आ) में, "उपभोग किए गए से भिन्न इनपुट कर प्रत्यय जिसका उपनियम (4क) या (4ख) या दोनों के अधीन वापसी के लिए दावा किया गया है" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (इ) में, "जो उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन वापसी के लिए दावा किया गया है, के संबंध में पूर्तियों से भिन्न व्यापार वर्ग" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (उ) में, "के मूल्य का कुल योग" शब्दों से शुरू होने वाली और "सम्मिलित नहीं है" शब्दों पर समाप्त होने वाली वृहत्त पंक्ति के स्थान पर "के मूल्य का कुल योग अभिप्रेत है, जिसमें शून्य-दर प्रदायों से भिन्न छूट प्राप्त प्रदायों का मूल्य सम्मिलित नहीं है" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (4क) और उपनियम (4ख) का लोप किया जाएगा;

(ग) उपनियम (5) के स्पष्टीकरण में, "जो उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन वापसी के लिए दावा किया गया है, के संबंध में पूर्तियों से भिन्न व्यापार वर्ग" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ।

10. उक्त नियमों के नियम 96 में, उपनियम (10) का लोप किया जाएगा ।

11. उक्त नियमों के नियम 96ख के उपनियम (1) में "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के स्थान पर 1 नवंबर, 2024 से "धारा 73 या धारा 74 या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

12. उक्त नियमों के नियम 121 में "धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्यवाहियां, यथास्थिति" शब्दों और अंकों के स्थान पर 1 नवंबर, 2024 से"धारा 73 या धारा 74 या धारा 74क के अधीन कार्यवाहियां, यथास्थिति" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

13. उक्त नियमों के नियम 142 में 1 नवंबर, 2024 से-

(क) उपनियम (1) में-

(i) खंड (क) में "या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(ii) खंड (ख) में "धारा 74 की" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74क की उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) उपनियम (1अ) में, "धारा 74 की" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74क की उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ग) उपनियम (2) में "या धारा 74 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में यथास्थिति कर, ब्याज और शास्ति" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "या धारा 74क की उपधारा (8) के खंड (i) या धारा 74 की उपधारा (5) या धारा 74क की उपधारा (9) के खंड (i) के अनुसरण में, यथास्थिति कर, ब्याज और शास्ति" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

(घ) उपनियम (2ख) में "या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ङ) उपनियम 3 के स्थान निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात-

"(3) जहां कर से प्रभार्य कोई व्यक्ति यथास्थिति धारा 73 की उपधारा (8) के अधीन या धारा 74क की उपधारा (8) के खंड (ii) के अधीन कर और ब्याज या यथास्थिति धारा 74 की उपधारा (8) के अधीन या धारा 74क की उपधारा (9) के खंड (ii) के अधीन यथास्थिति कर, ब्याज और शास्ति का उनमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदाय करता है या जहां संबंधित व्यक्ति धारा 129 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी रकम का उस धारा की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई सूचना के 7 दिन के भीतर किन्तु उक्त उपधारा (3) के अधीन आदेश के जारी होने से पहले संदाय करता है, तो वह प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में ऐसे संदाय को समुचित अधिकारी को संसूचित करेगा और समुचित अधिकारी उक्त सूचना के संबंध में कार्यवाही का समापन करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05 में संसूचना जारी करेगा ।"

(च) उपनियम (4) में "धारा 74 की" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74क की उपधारा (6)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(छ) उपनियम (5) में "या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

14. उक्त नियमों के नियम 163 के पश्चात् 1 नवंबर, 2024 से निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात-

"164. धारा 73 के अधीन जारी की गई मांगों के संबंध में धारा 128क के अधीन कार्यवाही को बंद करने के लिए प्रक्रिया और शर्तें- (1) कोई व्यक्ति जो धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (क) में उल्लिखित किसी सूचना या किसी कथन के संबंध में ब्याज या शास्ति या दोनों के अधित्यजन के लिए पात्र है, तो वह मांग किए गए कर के संबंध में प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में किए गए संदायों के ब्यौरों के साथ यथास्थिति उक्त सूचना या कथन का ब्यौरा देते हुए सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन फाइल कर सकेगा ।

(2). कोई व्यक्ति जो धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में उल्लिखित आदेशों के संबंध में ब्याज या शास्ति या दोनों के अधित्यजन के लिए पात्र है,तो वह मांग किए गए कर के संबंध में किए गए संदायों के ब्यौरों के साथ उक्त आदेश का ब्यौरा देते हुए सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन फाइल कर सकेगा :

परंतु ऐसे मांग किए गए कर के संबंध में संदाय केवल उक्त आदेश द्वारा सृजित नामे प्रवृष्टि के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में रकम प्रत्यय करके किया जाएगा :

परंतु यह और कि यदि ऐसे मांग किए गए कर के संबंध में संदाय प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से किया गया है, तो प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन फाइल करने से पूर्व, नियम 142 के उपनियम (2ख) में यथाविहित प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03क में, ऐसे मांग किए गए कर के संबंध में सृजित नामे प्रवृष्टि के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में उक्त रकम के प्रत्यय के लिए उक्त व्यक्ति द्वारा आवेदन फाइल किया जाएगा ।

(3). जहां धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना या कथन या आदेश में आंशिक रूप से गलत प्रतिदाय के कारण और आंशिक रूप से अन्य कारणों से कर की मांग भी सम्मिलित है, उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तारीख को

या इससे पूर्व केवल उक्त सूचना या कथन या आदेश में मांग किए गए कर की पूर्ण रकम के संदाय के पश्चात् ही उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन कोई आवेदन फाइल किया जा सकेगा ।

(4). जहां धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना या कथन या आदेश में आंशिक रूप से उक्त धारा में उल्लिखित अवधि के लिए और आंशिक रूप से उक्त धारा में उल्लिखित अवधि से भिन्न अवधि के लिए कर की मांग भी सम्मिलित है, उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तारीख को या इससे पूर्व केवल उक्त सूचना या कथन या आदेश में मांग किए गए कर की पूर्ण रकम के संदाय के पश्चात् ही उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन आवेदन फाइल किया जा सकेगा ।

(5). उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन संदेय रकम वह रकम होगी, जो धारा 73 के अधीन यथास्थिति सूचना या कथन या आदेश के निबंधन में संदेय रकम में से उस रकम को घटाकर जो धारा 16 की उपधारा (5) या उपधारा (6) के अनुसरण में संदेय नहीं है, संदेय बनी रहती है ।

(6). कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन फाइल करना चाहता है धारा 128क की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर ऐसा कर सकता है :

परंतु जहां धारा 128क की उपधारा (1) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट मामलों में कोई आवेदन प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में फाइल किया जाना है, उक्त आवेदन को फाइल करने के लिए समय-सीमा धारा 73 के अधीन ऐसे कर का पुनर्निर्धारण करते हुए समुचित अधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास होगी ।

(7). उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आवेदन, यह स्थापित करने के लिए कि आवेदक धारा 128क के निबंधनों में कर या शास्ति या दोनों के अधित्यजन के लिए पात्र है, यथास्थिति, किसी अपील प्राधिकारी या अधिकरण या न्यायालय के समक्ष फाइल की गई अपील या रिट याचिका, यदि कोई हो, वापिस लेने के साक्ष्य संबंधी दस्तावेज से संलग्न होगा :

परंतु जहां आवेदक ने यथास्थिति अपील प्राधिकारी या अपील प्राधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष कोई अपील या रिट याचिका को वापिस लेने के लिए कोई आवेदन फाइल किया है किंतु उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आवेदन फाइल करने की तारीख तक संबंधित प्राधिकारी द्वारा वापसी के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है, आवेदक उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन आवेदन के साथ उक्त अपील या रिट याचिका के वापिस लेने के लिए फाइल किए गए ऐसे आवेदन या दस्तावेज की प्रति अपलोड करेगा और संबंधित प्राधिकारी द्वारा वापसी के लिए उक्त आदेश के जारी होने के एक मास के भीतर सामान्य पोर्टल पर उक्त अपील या रिट याचिका के वापसी के लिए आदेश की प्रति को अपलोड करेगा ।

(8). जहां समुचित अधिकारी का यह दृष्टिकोण है कि प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में किया गया आवेदन नामंजूर किये जाने के लिए दायी है क्योंकि धारा 128क के अनुसार ब्याज या शास्ति या दोनों के अधित्यजन के लिए पात्र नहीं है, वह उक्त आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03 में आवेदक को सामान्य पोर्टल पर कोई सूचना जारी करेगा और आवेदक को सुनवाई किए जाने का अवसर भी प्रदान करेगा ।

(9). उपनियम (8) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर आवेदक उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-04 में सामान्य पोर्टल पर उक्त सूचना का उत्तर फाइल कर सकेगा ।

(10). यदि समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक धारा 128क के अनुसार ब्याज और शास्ति के अधित्यजन के लिए पात्र है, वह धारा 128क के अधीन उक्त आवेदन को स्वीकार करने और कार्यवाहियों का समापन करने के लिए सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05 में आदेश जारी करेगा ।

(11). ऐसे मामलों में जहां उपनियम (10) के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05 में आदेश जारी किया गया है-

(क) धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी सूचना या कथन से संबंधित प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01 में फाइल किए गए किसी आवेदन के संबंध में, नियम 142 के उपनियम (5) के अनुसार प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 में आदेश का सार उक्त सूचना या विवरण के संबंध में समुचित अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित नहीं होगा;

(ख) धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी आदेश से संबंधित प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में फाइल किए गए किसी आवेदन के संबंध में, इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर के भाग 2 में सृजित दायित्व को तद्नुसार संशोधित किया जाएगा ।

(12). यदि समुचित अधिकारी आवेदक के उत्तर से संतुष्ट नहीं है, समुचित अधिकारी उक्त आवेदन को नामंजूर करते हुए प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07 में आदेश जारी करेगा ।

(13). (क) ऐसे मामलों में जहां प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03 में सूचना जारी नहीं की गई है, समुचित अधिकारी यथास्थिति प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उपनियम (10) के अधीन आदेश जारी करेगा ।

(ख) ऐसे मामलों में जहां प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03 में सूचना जारी की गई है समुचित अधिकारी प्ररूप जीएसटी एसपीएल-04 में आवेदक के उत्तर की प्राप्ति से तीन मास की अवधि के भीतर या जहां आवेदक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03 में सूचना के जारी होने की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर उपनियम (10) या उपनियम (12) में आदेश जारी करेगा ।

स्पष्टीकरण – इस उपनियम के प्रयोजन के लिए उपनियम (7) के परंतुक में निर्दिष्ट मामलों में, यथास्थिति अपील या रिट की वापसी के लिए आदेश को प्रस्तुत करने की तारीख तक उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन आवेदन के फाइल करने की तारीख से समयावधि को इस उपनियम के खंड (क) या खंड (ख) समय अवधि की गणना करते समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(14). यदि उपनियम (13) में विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर समुचित अधिकारी के द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, तब यथास्थिति, प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन को स्वीकृत समझा जाएगा और कार्यवाही पूर्ण हुई मानी जाएगी ।

(15). (क) ऐसे मामलों में जहां धारा 107 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07 में आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल नहीं की गई है, धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा फाइल की गई मूल अपील, यदि कोई हो, और धारा 128क की उपधारा (3) के अनुसार प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में प्रस्तुत आवेदन को प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

(ख) ऐसे मामलों में जहां ब्याज, या शास्ति, या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन को अस्वीकार करने के लिए आदेश के विरूद्ध प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07 में अपील दाखिल की जाती है, यदि-

(i) अपील प्राधिकारी ने यह निर्णय दिया है कि उचित अधिकारी ने प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07 में ब्याज, या शास्ति, या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन को गलत तरीके से खारिज कर दिया है, उक्त अपीलीय प्राधिकारी उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए और धारा 128क के अधीन कार्यवाही को समाप्त करते हुए सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-06 में आदेश पारित करेगा; या

(ii) अपील प्राधिकारी ने यह निर्णय दिया है कि उचित अधिकारी ने प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07 में ब्याज, या शास्ति, या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन को सही तरीके से खारिज कर दिया है, धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा दाखिल मूल अपील, यदि कोई हो, और धारा 128क की उपधारा (3) के अनुसार प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन दाखिल करने के लिए वापस ले ली गई है, इस शर्त के अधीन प्रत्यावर्तित की जाएगी कि आवेदक प्ररूप जीएसटी एपीएल-04 में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-08 में पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक वचनबंध दाखिल करता है, कि उसने अपीलीय प्राधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध न तो कोई अपील दाखिल की है और न ही दाखिल करने का इरादा रखता है।

(16) ऐसे मामलों में जहां करदाता से धारा 128क की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अनुसार कर देयता की अतिरिक्त रकम का संदाय करना अपेक्षित है और ऐसा अतिरिक्त संदाय उक्त परंतुक में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, वहां प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-06 में जारी आदेश के अनुसार उक्त धारा के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट, यदि कोई हो, शून्य हो जाएगा।

(17) ऐसे मामलों में जहां करदाता से त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय से संबंधित किसी मांग के संबंध में या धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि के अलावा अन्य अवधि से संबंधित मांग के कारण ब्याज, या शास्ति, या दोनों की कोई रकम का संदाय करना अपेक्षित है, और ऐसी रकम का विवरण प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-06 में उल्लिखित किया गया है, आवेदक, यथास्थिति,प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-06 में आदेश जारी करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर ब्याज, या शास्ति, या दोनों की उक्त रकम का संदाय करेगा, और

जहां उक्त रकम उक्त समय अवधि के भीतर संदत्त नहीं की जाती है, प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-06 में जारी आदेश के अनुसार धारा 128क के अधीन ब्याज, या शास्ति, या दोनों का अधित्यजन शून्य हो जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, इस नियम के अधीन आदेश जारी करने के लिए समुचित अधिकारी,-

(क) ऐसे मामलों में जहां ब्याज, या शास्ति, या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (क) में उल्लिखित नोटिस या विवरण के संबंध में किया जाता है, धारा 73 के अनुसार आदेश जारी करने के लिए समुचित अधिकारी होगा; और

(ख) ऐसे मामलों में जहां ब्याज, या शास्ति, या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित आदेश के संबंध में किया जाता है, अधिनियम की धारा 79 में निर्दिष्ट समुचित अधिकारी होगा।"

15.उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-20 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूपरखा जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप जीएसटी आरईजी-20

[नियम 22(4) देखें]

संदर्भ संख्या- जेडए260821000033ए

तारीख: दिन/माह/वर्ष

सेवा में,

<करदाता का नाम>

<करदाता का पता>

जीएसटीआईएन/यूआईएन: <जीएसटीआईएनसंख्या>

कारण बताओ नोटिस संख्या: <एससीएनसंख्या> तारीख: दिन/माह/वर्ष

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की कार्यवाही बंद करने का आदेश

इसका संदर्भ ऊपर निर्दिष्ट कारण बताओ नोटिस के उत्तर में एआरएन ---------- तारीख --------- द्वारा दाखिल आपके उत्तर से है। आपके उत्तर और/या सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करने के पश्चात, रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए प्रारंभ की गई कार्यवाही निम्नलिखित कारणों से निरस्त मानी जाती है:

<<टेकस्ट>>

या

यह केंद्रीय माल सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के नियम 10क के उपबंधों के उल्लंघन के लिए संदर्भ संख्या <एससीएनसंख्या>तारीखदिन/माह/वर्ष के द्वारा आरईजी-31 में जारी किए गए नोटिस के संदर्भ में है।

चूंकि आपने प्रणाली में सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत किया है, इसलिए रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए प्रारंभ की गई कार्यवाही समाप्त की जाती है।

या

यह केंद्रीय माल सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के उपबंधों के उल्लंघन के लिए संदर्भ संख्या <एससीएन संख्या>तारीखदिन/माह/वर्षके द्वारा आरईजी-31 में जारी किए गए नोटिस के संदर्भ में है। चूंकि आपने उक्त नोटिस जारी होने की तारीख को देय सभी लंबित विवरणी दाखिल कर दी हैं, तथा स्व-निर्धारित कर का संदाय कर दिया है, इसलिए रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए प्रारंभ की गई कार्यवाही समाप्त की जाती है।

रजिस्ट्रीकरण का निलंबन तारीख/माह/वर्ष से निरस्त माना जाता है।

हस्ताक्षर

<अधिकारी का नाम>

पदनाम

अधिकारिता स्थान:

तारीख:".

16.उक्त नियमों केप्ररूप जीएसटी आरईजी-31 में, पैरा6 के पश्चात्, निम्नलिखित अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"या

नियम 10क के उल्लंघन के कारण निलंबन

1. यह देखा गया है कि नियम 10क के उपबंधों के अनुसार, आपसे रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने से तीस दिनों के भीतर बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है, आपने रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।

2. विसंगति या/विषमता प्रथम दृष्टया केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन उपदर्शित करती हैं, यदि संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया जाता है, तो आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है।

3. यह विचार करते हुए कि उपरोक्त विसंगति या/विषमता गंभीर हैं और राजस्व के हित के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं, तत्काल उपाय के रूप में, नियम 21क की निबंधनों में, इस सूचना की तारीख से आपका रजिस्ट्रीकरण निलंबित किया जाता है।

4. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत करें या इस नोटिस की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर अधिकारिता रखने वाले कर अधिकारी को उत्तर प्रस्तुत करें, जिसमें उपरोक्त कथित विसंगति या/विषमता या/उल्लंघन का स्पष्टीकरण दिया गया हो। जीएसटी सामान्य पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से आपके प्रत्यय पत्र का कोई भी संभावित दुरुपयोग भी विशेष रूप से क्षेत्राधिकार वाले अधिकारी के ध्यान में लाया जा सकता है।

5. आपके द्वारा नियत समय के भीतर सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात रजिस्ट्रीकरण का निलंबन समाप्त हो जाएगा।

6. कृपया ध्यान दें कि यदि आप नियत समय के भीतर सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या नियत समय के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है।

अथवा

1. यह देखा गया है कि नियम 10क के उपबंधों के अनुसार, आपसेरजिस्ट्रीकरण प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। आपके द्वारा प्रस्तुत बैंक खाते के विवरण की जानकारी बैंक के पास उपलब्ध विवरण से मेल नहीं खा रही है।

2. ये विसंगति या/विषमताएं प्रथम दृष्टया केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन उपदर्शित करती हैं, यदि संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया जाता है, तो आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है।

3. यह विचार करते हुए कि उपरोक्त विसंगति या/विषमता गंभीर हैं और राजस्व के हित के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं, तत्काल उपाय के रूप में, नियम 21क की निबंधनों में, इस संचार की तारीख से आपका रजिस्ट्रीकरण निलंबित किया जाता है।

4. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत करें या इस नोटिस की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर अधिकारिता रखने वाले कर अधिकारी को उत्तर प्रस्तुत करें, जिसमें उपरोक्त कथित विसंगति या/विषमता या/उल्लंघन का स्पष्टीकरण दिया गया हो। जीएसटी सामान्य पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह

से आपके प्रत्यय पत्र का कोई भी संभावित दुरुपयोग भी विशेष रूप से क्षेत्राधिकार वाले अधिकारी के ध्यान में लाया जा सकता है।

5. नियत समय के भीतर सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात रजिस्ट्रीकरण का निलंबन समाप्त हो जाएगा।

6. कृपया ध्यान दें कि यदि आप नियत समय के भीतर सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या नियत समय के भीतर उत्तर देने में विफल रहते हैं तो आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है।

अथवा

नियम 21 के उल्लंघन के कारण निलंबन

1. यह देखा गया है कि नियम 21 के खंड (ज) या खंड (झ) के उपबंधों के अनुसार, जिसके अधीन आपसे धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल करना अपेक्षित है, आपने लगातार छह महीने या लगातार दो तिमाहियों तक विवरणी दाखिल नहीं की है।

2. ये विसंगति या/विषमता प्रथम दृष्टया केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन उपदर्शित करती हैं, यदि इनका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं किया गया तो आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है।

3. यह विचार करते हुए कि उपरोक्त विसंगति या/विषमता गंभीर हैं और राजस्व के हित के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं, तत्काल उपाय के रूप में, नियम 21क के उपनियम (2क) की निबंधनों में, इस सूचना की तारीख से आपका रजिस्ट्रीकरण निलंबित किया जाता है।

4. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप सामान्य पोर्टल पर धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल करें या इस नोटिस की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर अधिकारिता रखने वाले कर अधिकारी को उत्तर प्रस्तुत करें, जिसमें उपरोक्त विसंगति या/विषमता या/उल्लंघन का स्पष्टीकरण दिया गया हो। जीएसटी सामान्य पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से आपके का कोई संभावित दुरुपयोग भी विशेष रूप से क्षेत्राधिकार वाले अधिकारी के ध्यान में लाया जा सकता है।

5. सामान्य पोर्टल पर धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल करने के पश्चात रजिस्ट्रीकरण का निलंबन हटा लिया जाएगा।

6. कृपया ध्यान दें कि यदि आप नियत तारीख के भीतर सामान्य पोर्टल पर धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल करने में विफल रहते हैं या नियत समय के भीतर उत्तर देने में विफल रहते हैं तो आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है।

17.उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-9 की सारणी के भाग III की क्रम संख्या 8 में, क्रम संख्या क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"क	जीएसटीआर-2ख के अनुसार आईटीसी (उसकी सारणी 3)	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>"।

18. उक्त नियमों केप्ररूप जीएसटी एपीएल-01 में 1 नवंबर, 2024 से,-

(क) प्रविष्टि संख्या 15 में,-

(i) खंड (क) की सारणी के "विशिष्टियां" से संबंधित पहले स्तंभ में, "पूर्व-जमा" से संबंधित मद (ख) में, "(ख) पूर्व-जमा (विवादित कर/उपकर का 10% लेकिन सीजीएसटी, एसजीएसटी या उपकर प्रत्येक के संबंध में 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं या आईजीएसटी के संबंध में 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं और उपकर के संबंध में 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं)" कोष्ठक, अक्षरों, शब्दों और अंकों के स्थान पर "(ख) पूर्व-जमा (विवादित कर/उपकर का 10% लेकिन सीजीएसटी, एसजीएसटी, उपकर प्रत्येक के संबंध में 20 करोड़ रुपये से अधिक नहीं और आईजीएसटी के संबंध में 40 करोड़ रुपये से अधिक नहीं)" कोष्ठक, अक्षर, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के आरंभिक भाग में, "(विवादित कर और उपकर का 10% पूर्व-जमा, लेकिन सीजीएसटी, एसजीएसटी या उपकर प्रत्येक के संबंध में 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं या आईजीएसटी के संबंध में 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं और उपकर के संबंध में 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं)" कोष्ठक, अक्षरों, शब्दों और अंकोंके स्थान पर, "(विवादित कर और उपकर का 10% पूर्व-जमा, लेकिन सीजीएसटी, एसजीएसटी, उपकर प्रत्येक के संबंध में 20 करोड़ रुपये से अधिक नहीं और आईजीएसटी के संबंध में 40 करोड़ रुपये से अधिक नहीं)" कोष्ठक, अक्षर, शब्द और अंक रखे जाएंगे।

19. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 में 1 नवंबर, 2024 से,–

(क) प्रविष्टि संख्या 14 में,–

(i) सारणी के खंड (क) के "विशिष्टियां" से संबंधित पहलेस्तंभ में, "पूर्व-जमा" से संबंधित मद (ख) में, "(ख) पूर्व-जमा (विवादित कर/उपकर का 20% लेकिन सीजीएसटी, एसजीएसटी या उपकर के संबंध में प्रत्येक 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं या आईजीएसटी के संबंध में 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं और उपकर के संबंध में 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं)" कोष्ठक, अक्षरों, शब्दों और अंकोंके स्थान पर, "(ख) पूर्व-जमा (विवादित कर/उपकर का 10% लेकिन सीजीएसटी, एसजीएसटी, उपकर के संबंध में प्रत्येक 20 करोड़ रुपये से अधिक नहीं और आईजीएसटी के संबंध में 40 करोड़ रुपये से अधिक नहीं)" कोष्ठक, अक्षर, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के आरंभिक भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) स्वीकृत रकम के संदाय और विवादित कर और उपकर के 10% की पूर्व जमा रकम का विवरण, लेकिन सीजीएसटी, एसजीएसटी, उपकर प्रत्येक के संबंध में 20 करोड़ रुपये से अधिक नहीं और आईजीएसटी के संबंध में 40 करोड़ रुपये से अधिक नहीं।"।

20. उक्त नियमों केप्ररूप जीएसटी आईएनएस-01 के पैरा (ग) में, "भारतीय दंड संहिता की धारा 179, 181, 191 और 418" शब्दों और अंकोंके स्थान पर, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 214, 216, 227 और धारा 318 की उपधारा (3)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

21.उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क में, 1 नवंबर, 2024 से, —

(क) शीर्ष में, "73(5)/74(5)" अंकों और कोष्ठकोंके पश्चात "/74क (8)/74क (9)" अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) भाग क में, —

(i) विषय वस्तु में, "धारा 73(5)/धारा 74(5)" अंकों, शब्द और कोष्ठकों के पश्चात "/74क(8)/74क(9)" अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) पहले पैरा में, "धारा 73(5)/74(5) के अधीन" अंकों, शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात "/74क (8)/74क(9)" अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(iii) चौथे पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"या

आपको सलाह दी जाती है कि ऊपर निर्धारित कर की रकम और उस पर लागू ब्याज की रकम का पूर्ण भुगतान तारीख ..... तक करें, ऐसा न करने पर धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (i) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

या

आपको सलाह दी जाती है कि ऊपर निर्धारित कर की रकम और उस पर लागू ब्याज और शास्ति की रकम का पूर्ण भुगतान तारीख .... तक करें, ऐसा न करने पर धारा 74ककी उपधारा (5) के खंड (ii) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा ।"।

(ग) भाग ख में, पहले पैरा में, "धारा 73(5)/74(5) के अधीन" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 73(5)/74(5)/74क(8)/74क(9) के अधीन" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

22. उक्त नियम में, प्ररूप एसबीवाई-06 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप 1 नवंबर, 2024 से अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

'प्ररूप जीएसटी एसपीएल – 01

[नियम *164(1)देखिए]*

धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (क) में उल्लिखित सूचना या कथन के संबंध में उक्त धारा के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट के लिए आवेदन

संदर्भ सं0 ..... **तारीख.....**

सारणी 1

क्र.सं.	**विशिष्टियां**		
1	क	जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईडी /यूआईएन	
	ख	कारोबार का विधिक नाम (जैसा पैन नंबर में उल्लेखित है)	
	ग	मोबाइल नंबर	
	घ	ईमेल पता	
	ङ	पता	
	च	अधिकार क्षेत्र	

सारणी 2

2	क्र.सं.	सूचना के ब्यौरे	
	1	सूचना / कथन संख्या	
	2	सूचना/ कथन जारी करने की तारीख	
	3	धारा, जिसके अधीन सूचना/ कथन जारी किया गया है	ड्रॉप डाउन
	4	क्या सूचना/ कथन के विरुद्ध उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई रिट याचिका दायर की गई है	ड्रॉप डाउन
	5	यदि '4' में हां है, क्या रिट याचिका वापस लेने का आदेश जारी किया गया है?	ड्रॉप डाउन
	6	क्या सूचना/कथन में गलत रिफंड की मांग शामिल है	ड्रॉप डाउन

सारणी 3 (रकम रुपए में)

3	वित्तीय वर्ष	सूचना/ कथन में मांग की गई रकम (क)							(क) में उल्लिखित रकम में से, केवल आईटीसी से संबंधित मांग, जिसे केवल धारा 16(4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार किया गया है, न कि किसी अन्य आधार पर, और जो अब धारा 16(5) या धारा 16(6), के अनुसार पात्र हो गई है। (ख)				
		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	ब्याज	शास्ति	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	योग												

सारणी 4

4	डीआरसी -03 के द्वारा भुगतान की गई रकम					
	भुगतान संदर्भ सं0	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर
	1	2	3	4	5	6
		<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>
		<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>
	योग	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>

सारणी 5

5	**घोषणा:**
	1. मैं वचन देता हूँ कि मैंने उक्त सूचना/कथन के विरुद्ध कोई रिट याचिका दायर नहीं की है। या मैं वचन देता हूँ कि यद्यपि मैंने उक्त सूचना/कथन के विरुद्ध रिट याचिका दायर की थी, मैंने उक्त रिट याचिका वापस ले ली है या उसे वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया है तथा इस आवेदन के साथ वापसी आदेश या वापसी के लिए दायर आवेदन की प्रति संलग्न की है। 2. इसके अतिरिक्त, मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि धारा 128क के अधीन जारी, मांग कार्यवाही को समाप्त करने वाले आदेश के विरुद्ध भविष्य में किसी भी फोरम में कोई अपील दायर नहीं की जाएगी। 3. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी सटीक और सत्य है। मैं समझता हूँ कि किसी भी गलत घोषणा या तथ्यों को छिपाने से यह आवेदन निरस्त हो जाएगा और लागू ब्याज और शास्ति सहित बकाया रकम के लिए वसूली कार्यवाही हो सकती है।

सारणी 6

6	**सत्यापन:**
	मैं _____ (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम), घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं समझता हूँ कि किसी भी गलत घोषणा या तथ्यों को छिपाने से मेरा आवेदन निरस्त हो जाएगा और धारा 128क के अधीन सभी लाभ वापस ले लिए जाएँगे।

सारणी 7

7	**अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करें**	
	सूचना/कथन की स्वत: प्रमाणित प्रति	
	प्ररूप जीएसटी डीआरसी 03 के माध्यम से किए गए भुगतान का प्रमाण	
	रिट याचिका वापस लेने या रिट याचिका वापस लेने के लिए दायर आवेदन का प्रमाण (यदि वापसी का आदेश जारी नहीं किया गया है) (जहां लागू हो)	
	कोई अन्य दस्तावेज (कृपया निर्दिष्ट करें)	

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम/पदनाम

ईमेल पता

मोबाइल नंबर

अनुदेश:

1. सारणी 2 की प्रविष्टि 1 से 6 में, आवेदक को उस सूचना/कथन का विवरण भरना होगा, जिसके विरुद्ध धारा 128क के अधीन आवेदन किया गया है ।

2. यदि सूचना/कथन सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध है, तो उसका आवेदन संदर्भ क्रमांक भरना होगा । यदि पोर्टल पर वह उपलब्ध नहीं है, तो मैन्युअल रूप से जारी की गई सूचना/कथन की संदर्भ संख्या भरनी होगी ।

3. सारणी 2 की प्रविष्टि 3 में, यदि सूचना/कथन प्रथमतः धारा 73 के अधीन जारी किया गया है, तो आवेदक को ड्रॉपडाउन से 'धारा 73' विकल्प चुनना होगा, तथा यदि सूचना प्रारंभ में धारा 74 के अधीन जारी की गई थी और बाद में धारा 75(2) के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकरण या न्यायालय के आदेश के आधार पर धारा 73 के अंतर्गत जारी मानी गई थी, तो उसे 'धारा 74 के सपठित धारा 75(2) 'विकल्प चुनना होगा ।

4. सारणी 3क में, यदि सूचना/कथन सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध है तो स्तंभ 2 से स्तंभ 8 स्वत: भरे जाएंगे । यदि यह पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, तो इसका विवरण आवेदक द्वारा मैन्युअल रूप से भरा जाना है ।

5. धारा 16 की उपधारा (5) या उपधारा (6) के अनुसार देय न होने के कारण कटौती योग्य राशि की गणना, धारा 73 के अधीन, सूचना या बयान या आदेश, यथास्थिति अनुसार देय राशि से करते समय, आवेदक को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसी राशि केवल वहीं काटी जाए, जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट को केवल धारा 16(4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार किया गया हो, और न कि किसी अन्य आधार पर ।

प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02

[नियम 164(2) देखें]

धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित आदेश के संबंध में, उक्त धारा के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन

संदर्भ संख्या:

सारणी 1

क्र .सं.	विशिष्टियां		टिप्पणियां
1	क	जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी/यूआईएन	
	ख	कारोबार का विधिक नाम(जैसा कि पैन संख्या में उल्लिखित है)	<ऑटो>
	ग	मोबाइल नंबर	<ऑटो>
	घ	ईमेल पता	<ऑटो>
	ड	पता	<ऑटो>
	च	क्षेत्राधिकार	<ऑटो>

सारणी 2

2.	**क्र.सं.**	**मांग आदेश के ब्यौरे**	
	1	मांग आदेश संख्या	
	2	आदेश जारी करने की तारीख	
	3	धारा जिसके अधीन आदेश जारी किया गया है	ड्रॉप डाउन
	4	क्या अपीलीय प्राधिकारी /अपीलीय प्राधिकरण/ उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के समक्ष आदेश के विरुद्ध कोई अपील या रिट याचिका फाइल की गई है	ड्रॉप डाउन
	5	यदि' 4 'में हाँ, क्या अपील या रिट याचिका वापस लेने का आदेश	ड्रॉप डाउन

		जारी किया गया है?	
	6	क्या मांग आदेश में गलत रिफंड की मांग शामिल है	ड्रॉप डाउन

सारणी 3

(रकम रु. में)

3	वित्तीय वर्ष	आदेश में मांगी गई रकम(क)							(क) में उल्लिखित रकम में से केवल आईटीसी से संबंधित मांग ,जिसे केवल धारा16 (4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार किया गया है, न कि किसी अन्य आधार पर , और जो अब धारा16 (5) या धारा16 (6) के अनुसार पात्र हो गई है। (ख)				
		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	ब्याज	शास्ति	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	कुल												

सारणी 4

4	सारणी 3 में उल्लिखित मांग आदेश के विरुद्ध भुगतान सुविधा के माध्यम से संदत्त रकम [जिनमें प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से संदत्त रकम और बाद में प्ररूप जीएसटी डीआरसी03 – क में आवेदन फाइल करने के माध्यम से समायोजित की गई रकम शामिल है]							
	प्रत्यय प्रविष्टि संदर्भ सं.	प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 का संदर्भ संख्या (जहां लागू हो)	प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03क का संदर्भ नंबर (जहां लागू हो)	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर
	1	2	3	4	5	6	7	8
				<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>
				<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>
	कुल			<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>

सारणी 5

5	**<u>घोषणा:</u>** 1. मैं वचन देता हूँ कि मैंने उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील या रिट याचिका फाइल नहीं की है। या मैं वचन देता हूँ कि यद्यपि मैंने उक्त आदेश के विरुद्ध अपील/रिट याचिका फाइल की थी ,मैंने उक्त अपील/रिट याचिका वापस ले ली है (अथवा) मैंने उसे वापस लेने के लिए आवेदन फाइल किया है तथा इस आवेदन के साथ वापसी आदेश या वापसी के लिए फाइल आवेदन की प्रति संलग्न की है । 2. इसके अतिरिक्त ,मैं समझता हूं और सहमत हूं कि भविष्य में किसी भी फोरम में धारा128 क के अधीन जारी

	मांग कार्यवाही को समाप्त करने वाले आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी। 3. मैं यह भी वचन देता हूं कि धारा128 क के अधीन जारी मांग कार्यवाही को समाप्त करने वाले आदेश के जारी होने पर ,इस प्ररूप की सारणी 2 में उल्लिखित आदेश के विरुद्ध कोई रिट फाइल नहीं की जाएगी। 4. यदि सारणी 2 में उल्लिखित आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई आवेदन फाइल किया जाता है/फाइल किया गया है या यदि उक्त आदेश के विरुद्ध धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ,और अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकरण ,जैसा भी मामला हो ,मेरे कर दायित्व को बढ़ाने वाला आदेश जारी करता है ,तो मैं धारा128 क की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अनुसार ,अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकरण ,जैसा भी मामला हो ,के उक्त आदेश की तारीख से तीन माह के भीतर देय कर की अतिरिक्त रकम का भुगतान करने का वचन देता हूं। 5. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सही और सत्य हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी गलत घोषणा या तथ्यों को छिपाने से यह आवेदन निरस्त हो जाएगा और बकाया देय के साथ-साथ लागू ब्याज और शास्ति की वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

सारणी 6

6	**सत्यापन:** मैं_____ (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम), एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं समझता हूँ कि किसी भी गलत घोषणा या तथ्यों को छिपाने से यह आवेदन निरस्त हो जाएगा और धारा 128क के अधीन दिए गए लाभ मान्य नहीं होंगे।

सारणी 7

7	**आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें**	
	आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति	
	अपील/रिट याचिका वापस लेने का प्रमाण या अपील/रिट याचिका वापस लेने के लिए संस्थित आवेदन (यदि वापसी का आदेश जारी नहीं किया गया है) (जहां लागू हो)	
	प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से मांग/संदत्त सहायता के लिए किए गए भुगतान का प्रमाण और प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03क के माध्यम से समायोजित।	
	कोई अन्य दस्तावेज़ (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम/पदनाम.....

ई-मेल पता.....।

मोबाइल संख्या.....।

<u>अनुदेश :</u>

1. सारणी 2 के स्तंभ 1 से 6 में, उस आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध धारा 128क के अधीन आवेदन फाइल किया गया है, आवेदक द्वारा भरा जाना आवश्यक है।
2. यदि आदेश सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध है, तो उसका एआरएन संख्या भरना होगा। यदि वह पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, तो मैन्युअल रूप से जारी किए गए आदेश का आदेश नंबर भरना होगा।
3. सारणी 3 में, स्तंभ 2 से 8 स्वतः भरे जाएंगे, यदि आदेश सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध है। यदि यह पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक को इसका विवरण मैन्युअल रूप से भरना होगा।

4. इसी तरह, प्रत्यय प्रविष्टि (ईएलआर- भाग II में की गई) की संदर्भ संख्या सारणी 4 के स्तंभ 1 में भरी जानी चाहिए। यदि उक्त मांग आदेश के लिए किया जाने वाला भुगतान मूल रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से किया गया था, और बाद में प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03क में आवेदन फाइल करके समायोजित किया गया था, तो उसी के संदर्भ संख्या स्तंभ 2 और 3 में भरी जानी चाहिए, और शेष स्तंभ स्वतः भर दिए जाएंगे।

5. धारा 73 के अधीन नोटिस या विवरण या आदेश के निबंधनों के अनुसार देय रकम से धारा 16 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के अनुसार देय न होने के कारण कटौती योग्य रकम की गणना करते समय, जैसा भी मामला हो, आवेदक को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसी रकम केवल तभी काटी जाए जब आईटीसी को केवल धारा 16(4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार कर दिया गया हो, न कि किसी अन्य आधार पर।

प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03

धारा 128क के अधीन फाइल किए गए आवेदन के उत्तर में नोटिस

[***नियम 164(8) देखें***]

तारीख:

संदर्भ सं.

सेवा में,

आवेदक का जीएसटीआईएन .....

आवेदक का विधिक नाम .....

आवेदक का पता .....

प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 का संदर्भ सं. ..... तारीख..... .

विषय :धारा 128क के अधीन फाइल किए गए आवेदन के उत्तर में नोटिस-के संबंध में

1. जबकि, आपने धारा 128क के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें आपने अपनी बकाया शोध्य घोषित की है और ब्याज और शास्ति का अधित्यजन, प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01/प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में संदर्भ संख्या .....तारीख ..... में मांगा है ।

2. आपके आवेदन और उसमें दिए गए विवरण के सत्यापन के पश्चात, आपका आवेदन निम्नलिखित कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है:

- [कारण 1]

- [कारण 2]

अथवा /और

इस संदर्भ में ,ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा नीचे दी गई कर की रकम कम संदत्त की गई है :

मांग विवरण (क)							प्ररूप जीएसटी डीआरसी 03 (नोटिस/कथन के मामले में) के माध्यम से मांग का भुगतान या आदेश के मामले में इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर संदत्त करके मांग का भुगतान का विवरण					(क) में उल्लिखित रकम में से ,केवल आईटीसी से संबंधित मांग , जिसे केवल धारा 16 (4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार किया गया है ,किसी अन्य आधार पर नहीं ,और जो अब धारा 16 (5) या धारा16 (6) ,यदि कोई हो ,के अनुसार पात्र हो गई है।					मांग कम संदत्त				
नोटिस आईडी/आदेश आईडी नं.	वित्तीय अवधि	आईजीएस टी	सीजीएस टी	एसजीएस टी	उपक र	उपकर सहित कुल कर	आईजीएस टी	सीजीएस टी	एसजीएस टी	उपक र	उपकर सहित कुल कर	आईजीएस टी	सीजीएस टी	एसजीएस टी	उपक र	उपकर सहित कुल कर	आईजीएस टी	सीजीएस टी	एसजीएस टी	उपक र	उपकर सहित कुल कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	१३	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ड्रॉप डाउन																				
	ड्रॉप डाउन																				

3. आपसे अपने दावे के समर्थन में प्ररूप जीएसटी एसपीएल-04 में आवश्यक दस्तावेजों के साथ कारण बताने की अपेक्षा की जाती है कि आपका आवेदन संख्या ....तारीख .... को क्यों न अस्वीकार कर दिया जाए।

4. आपको [स्थान...........] पर [तारीख और समय............] को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया जाता है । आप अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं।

[हस्ताक्षर]

[कर अधिकारी का नाम]

[पदनाम]

[अधिकार क्षेत्र]

[पता]

संलग्नक अपलोड करें

प्ररूप जीएसटी एसपीएल-04

[नियम 164(9) देखें]

नियम 164(8) के अधीन जारी नोटिस का उत्तर

तारीख. :

संदर्भ संख्या :

सेवा में,

समुचित अधिकारी ....

अधिकार क्षेत्र ....

आवेदक का विधिक नाम

आवेदक का पता ....

प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03 की संदर्भ संख्या: ……. तारीख… .

विषय : धारा 128क के अधीन फाइल आवेदन के संबंध में जारी नोटिस का उत्तर ।

महोदय/महोदया,

यह आपके कार्यालय से सं. .... तारीख……... द्वारा प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03 में जारी नोटिस के संदर्भ में है ।

उत्तर निम्नानुसार है :

संलग्नक:

भुगतान सबूत या अतिरिक्त प्रस्तुतियों के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज आपके संदर्भ के लिए संलग्न हैं :

• दस्तावेज़ 1: [करदाता दस्तावेज़ 1]

• दस्तावेज़ 2: [करदाता दस्तावेज़ 2]

• दस्तावेज़ 3: [करदाता दस्तावेज़ 3]

सत्यापन :

मैं _____ एतद्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि यहां दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें से कुछ भी छुपाया नहीं गया है ।

[प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर]

[प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम]

[पदनाम/स्थिति]

[तारीख]

प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05

[नियम 164 (10) देखें]

धारा 128क के अनुसार कार्यवाही के समापन के लिए आदेश

संदर्भ सं. ……

तारीख : .

सेवा में,

आवेदक का जीएसटीआईएन .....

आवेदक का विधिक नाम .....

आवेदक का पता .....

संदर्भ सं. : प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01/ प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 …… तारीख ……

विषय : धारा 128क के अधीन प्रस्तुत आवेदन के अनुमोदन के लिए आदेश

धारा 128क के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट का लाभ उठाने के लिए आपके अनुरोध के समर्थन में विवरण/जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए यह आपके संदर्भ संख्या ..... तारीख ..... के साथ आवेदन के संदर्भ में है ।

या

धारा 128क के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट का लाभ उठाने के लिए आपके अनुरोध के समर्थन में विवरण/जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए यह आपके संदर्भ संख्या ..... तारीख ..... और संदर्भ संख्या ..... के साथ प्ररूप जीएसटी एसपीएल-04 में आपके उत्तर के संबंध में है ।

2. आपके आवेदन में दिए गए विवरण और उत्तर के सत्यापन पर, जहां लागू हो, ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट धारा 128क के अधीन निम्नानुसार अनुज्ञेय है :

3. मांग सूचना/मांग आदेश विवरण:

क. आदेश संख्या /नोटिस संख्या

ख. आदेश/नोटिस की तारीख :

वित्तीय वर्ष	नोटिस / कथन / आदेश में मांगी गई रकम जिसके विरुद्ध धारा 128क के अधीन आवेदन दायर किया गया था (क)							(क) में उल्लिखित रकम में से, केवल आईटीसी से संबंधित मांग जिसे केवल धारा 16(4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार कर दिया गया है, न कि किसी अन्य आधार पर, और जो अब धारा 16(5) या धारा 16(6) के अनुसार पात्र हो गई है।	उक्त नोटिस / विवरण / आदेश के लिए पहले से भुगतान की गई रकम							धारा 128क के अनुसार ब्याज और शास्ति जो माफ कर दिया गया		आवेदक द्वारा देय ब्याज और शास्ति की शेष रकम, यदि कोई हो, (नियम 164 के उप-नियम (3) और उप-नियम (4) में संदर्भित मामलों में)	
	पूर्ति का स्थान (पीओएस)	अधिनियम	उपकर सहित कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	उपकर सहित कर	पूर्ति का स्थान (पीओएस)	अधिनियम	उपकर सहित कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	ब्याज	शास्ति	ब्याज	शास्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		सीजीएसटी								सीजीएसटी									
		एसजीएसटी								एसजीएसटी									
		आईजीएसटी								आईजीएसटी									
		उपकर								उपकर									
	योग								**योग**										
		सीजीएसटी								सीजीएसटी									
		एसजीएसटी								एसजीएसटी									
		आईजीएसटी								आईजीएसटी									
		उपकर								उपकर									
	योग								**योग**										

[हस्ताक्षर]
[कर अधिकारी का नाम]
[पदनाम]
[अधिकारिता]
[पता]

टिप्पण -किसी भी गलत घोषणा या तथ्यों को छिपाने से यह अनुमोदन निरस्त हो जाएगा और लागू ब्याज और शास्ति के साथ बकाया देय रकम की वसूली की कार्यवाही हो सकती है।

प्ररूप जीएसटी एसपीएल -06

[नियम 164 (15)(ख) (i) देखें]

धारा 128क के अनुसार कार्यवाही के समापन के लिए आदेश

संदर्भ सं. ……

सेवा में,

आवेदक का जीएसटीआईएन .....

आवेदक का विधिक नाम .....

आवेदक का पता .....

अधिकृत प्रतिनिधि का नाम -

प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01/ प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 की संदर्भ संख्या …… तारीख ……

प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07 की संदर्भ संख्या …… तारीख ……

प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 की संदर्भ संख्या …… तारीख ……

विषय: धारा 128क के अधीन प्रस्तुत आवेदन के अनुमोदन के लिए आदेश

1. धारा 128क के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट का लाभ उठाने के लिए आपकी अपील के समर्थन में विवरण/जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए यह आपके संदर्भ संख्या ..... तारीख ..... के साथ आवेदन के संदर्भ में है ।

2. आपके आवेदन में दिए गए विवरण और उत्तर, जहां लागू हो, के सत्यापन पर धारा 128क के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट निम्नानुसार अनुज्ञात की जाती है :

3. मांग सूचना/मांग आदेश विवरण :

क.आदेश संख्या / सूचना संख्या :

ख.आदेश/नोटिस की तारीख:

वित्तीय वर्ष	नोटिस / कथन / आदेश में मांगी गई रकम जिसके विरुद्ध धारा 128 क के अधीन आवेदन फाइल किया गया था (क)							(क) में उल्लिखित रकम में से, केवल आईटीसी से संबंधित मांग जिसे केवल धारा 16(4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार कर दिया गया है, न कि किसी अन्य आधार पर, और जो अब धारा 16(5) या धारा 16(6) के अनुसार पात्र हो गई है।	उक्त नोटिस / कथन / आदेश के लिए पहले से भुगतान की गई रकम							धारा 128क के अनुसार ब्याज और शास्ति की रकम माफ कर दी गई है		आवेदक द्वारा देय ब्याज और शास्ति की शेष रकम, यदि कोई हो, (नियम 164 के उप-नियम (3) और उप-नियम (4) में संदर्भित मामलों में)	
	पूर्ति का स्थान (पीओएस)	अधिनियम	उपकर सहित कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	उपकर सहित कर	पूर्ति का स्थान (पीओएस)	अधिनियम	उपकर सहित कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	ब्याज	शास्ति	ब्याज	शास्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		सीजीएसटी								सीजीएसटी									
		एसजीएसटी								एसजीएसटी									
		आईजीएसटी								आईजीएसटी									
		उपकर								उपकर									
	योग								योग										
		सीजीएसटी								सीजीएसटी									
		एसजीएसटी								एसजीएसटी									
		आईजीएसटी								आईजीएसटी									
		उपकर								उपकर									
	योग								योग										

[हस्ताक्षर]

[अपील प्राधिकारी का नाम]

[पदनाम]

[अधिकारिता]

टिप्पण -

किसी भी गलत घोषणा या तथ्यों को छिपाने से यह अनुमोदन निरस्त हो जाएगा और लागू ब्याज और शास्ति के साथ बकाया देय रकम की वसूली की कार्यवाही हो सकती है ।

प्ररुप जीएसटी एसपीएल-07

[नियम 164(12) देखें]

धारा 128 क के अधीन प्रस्तुत आवेदन की अस्वीकृति के लिए आदेश

संदर्भ सं. ……..

तारीख:

सेवा में,

आवेदक का जीएसटीआईएन ……

आवेदक का विधिक नाम ……

आवेदक का पता ……

संदर्भ के लिए आमंत्रित किया जाता है:

विशिष्टयाँ	विनिर्देश सं.	तारीख
प्ररुप जीएसटी एसपीएल -01/ प्ररुप जीएसटी एसपीएल -02 में आवेदन		
प्ररुप जीएसटी एसपीएल -03 में कारण बताओ सूचना:		
कारण बताओ सूचना का प्ररुप जीएसटी एसपीएल -04 में उत्तर:		

विषय: धारा 128क के अधीन प्रस्तुत आवेदन की अस्वीकृति के लिए आदेश

यह संदर्भ संख्या..... तारीख..... तैयार विवरण/सूचना और धारा 128क के अधीन ब्याज और शास्ति से छूट का लाभ उठाने के लिए आपके अनुरोध के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने के प्रति निर्देश है। ऊपर उल्लिखित सूचना आपको उन कारणों को स्पष्ट करने के लिए जारी किया गया था कि उक्त आवेदन को अस्वीकार क्यों नहीं किया जाना चाहिए, जिसके लिए आपने तारीख.... .....का उत्तर प्रस्तुत किया था/आपके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

2. परिचय:

3. प्रस्तुतियाँ, यदि कोई हो:

4. निष्कर्ष:

सत्यापन के आधार पर धारा 128क के अधीन फाइल किया गया संदर्भ संख्या .....तारीख..... के साथ आपका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है।

5. अस्वीकृति का सारांश:

आदेश संख्या/ नोटिस संख्या	अस्वीकृति का कारण
	<ड्राप डाउन> *<ड्राप डाउन में राय >* 1. *पूर्ण भुगतान नहीं किया गया* 2. *धारा 128 क में अधिसूचित तारीख के बाद भुगतान किया गया।* 3. *धारा 73 के सिवाय अन्य धाराओं से संबंधित सूचना /आदेश* 4. *अपीलीय प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकरण /उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के समक्ष फाइल की गई अपील/रिट याचिका वापस नहीं ली गई* 5. *अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें।*

[हस्ताक्षर]
[कर अधिकारी का नाम] .....
[पद नाम].....
[कार्यालय का नाम] .....
[संपर्क जानकारी].....

प्ररुप जीएसटी एसपीएल-08

[नियम 164(15)(ख)(ii) देखें]

<u>नियम 164(15)(ख)(ii) के अधीन प्रस्तुत वचनबद्धता</u>

तारीख:

निर्देश सं.:

1. आवेदक का विधिक नाम .....
2. आवेदक का पता .....
3. *आवेदक का जीएसटीआईएन:*
4. प्ररुप जीएसटी एसपीएल-02 की संदर्भ संख्या: ..... तारीख.....
5. प्ररुप जीएसटी एसपीएल-07 की संदर्भ संख्या: ..... तारीख.....
6. उपरोक्त क्रम संख्या 5 पर निर्दिष्ट प्ररुप जीएसटी एसपीएल -07 के विनिर्देश में पारित प्ररुप जीएसटी एपीएल-04 की संदर्भ संख्या: ..... तारीख.....
7. मूल रूप से फाइल की गई अपील लेकिन पश्चातवर्ती रुप से वापस ले ली गई संदर्भ संख्या..... तारीख .....

विषय: नियम 164 (15) (ख) (ii) के संबंध में प्रस्तुत वचनबद्धता।

महोदय/महोदया,

मैं ऊपर क्रम संख्या 6 में यथाविर्निर्दिष्ट की संदर्भ संख्या .....तारीख..... वाले अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील फाइल नहीं करने का वचन देता हूं, और तदनुसार मैं ऊपर क्रम संख्या 7 में यथानिर्दिष्ट संदर्भ संख्या ..... तारीख.....द्वारा फाइल की गई अपनी अपील को बहाल करने की प्रार्थना करता हूं।

मैं_____ सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

[प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर]
[प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम]
[पदनाम/प्रास्थिति]

[तारीख] ।"।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

राघवेंद्र पाल सिंह, निदेशक

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में संख्या सा.का.नि. 610 (अ), तारीख 19 जून, 2017 संख्या 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 376 (ई), तारीख 10 जुलाई 2024 संख्या 12/2024 -केंद्रीय कर, तारीख 10 जुलाई 2024 द्वारा संशोधित किए गए थे।